भारतीय खाद्य सुरक्षा और
मानक प्राधिकरण

विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक

प्रेस विज्ञप्ति

एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा मौजूदा कोविड-19 परिस्थितियों में खाद्य कारोबारों को सरल बनाने के दिशा-निर्देश जारी

नई दिल्ली, अप्रैल 20, 2021 : मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य कारोबारों को चालू रखने में सहायता करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) ने खाद्य सेवाओं/आपूर्ति को अबाधित रूप से सुनिश्चित कराने के तत्काल कदम उठाए हैं।

एफ.एस.एस.ए.आई ने यह पुन: दोहराया है और स्पष्ट किया है कि खाद्य वस्तुओं की आयात निर्मुक्ति और एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं (सार्वजनिक और निजी दोनों) की परीक्षण सेवाएँ अनिवार्य सेवाएँ हैं।

इस संबंध में तुरत प्रभाव से लागू होने वाले निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:

1. उत्पादकों को छोड़कर खाद्य कारोबारियों को अपने कारोबार एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस/पंजीकरण की वैध रसीद के आधार पर अस्थायी रूप से चलाने की अनुमति है। इस रसीद पर 17 अंकों वाली आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) होती है, जो फॉस्कोस पर ऑनलाइन आवेदन करने तथा शुल्क जमा करने के बाद जनित होती है। इससे लोजिस्टिक आपूर्ति चेनों, भंडारण गृहों, खुदरा दुकानों, कैटरिंग, खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों इत्यादि के तीव्र विस्तार, जहाँ कहीं आवश्यक हो, में सहायता मिलेगी। नया कारोबार फॉस्कोस पर संपूर्ण आवेदन सफलतापूर्वक फाइल करते ही करना आरंभ किया जा सकता है। यह अंतरिम राहत है, छूट की अवधि की समाप्ति के बाद लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है।

2. उत्पादक अपनी क्षमता में बढ़ौतरी ऑनलाइन आवेदन करने तथा फॉस्कोस पर शुल्क जमा करने के बाद जनित एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस/पंजीकरण की 17 अंकों वाली आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) वाली वैध रसीद के आधार पर कर सकते हैं। इससे विनियमात्मक अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना उत्पादन सुविधाओं में तुरंत बढ़ौतरी की जा सकती है।

3. उच्च जोखिम के खाद्य उत्पादों, यथा दूध और दुग्ध उत्पाद, पशु वधशालाओं, मांस और मांस उत्पाद इत्यादि को छोड़कर कोई नेमी परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी जोखिम की आशंका के आधार पर अथवा किसी खाद्य आपात/घटना और शिकायत की स्थिति में चुनिंदा मामलों में निरीक्षण कर सकते हैं। जहाँ संभव हो, निरीक्षण ई-निरीक्षण पद्धति से किए जा सकते हैं।

4. वर्ष 2020-21 की विवरणियों की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी गई है। सभी विवरणियाँ फॉस्कोस पर ऑनलाइन भरी जानी हैं।

5. लाइसेंस के नवीकरण के लिए देर से आवेदन करने पर कोई दंड देय नहीं होगा।

ये सुविधाएँ किसी स्थान पर लॉकडाउन/कर्फ्यू/कंटेनमेंट की स्थिति से निरपेक्ष रहते हुए दिनांक 30.06.2021 से समाप्त हो जाएँगी। और अधिक विवरण www.fssai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

एफ.एस.एस.ए.आई ने सभी राज्यों को कहा है कि खाद्य आपूर्ति की चेनों में कोई बाधा न आने दी जाए तथा किसी खाद्य कारोबार को चलाने के लिए विनियमात्मक अनुपालन अपेक्षाएँ कोई बाधा नहीं हैं।

एफ.एस.एस.ए.आई अपने प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम फोस्टैक के माध्यम से खाद्य उद्योग में कोविडोचित रीतियों पर खाद्य कारोबारियों को प्रशिक्षण दे रही है। अब तक 2.5 लाख से अधिक खाद्यकर्मियों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा चुका है। खाद्य उद्योग में कोविडोचित रीतियाँ सुनिश्चित कराने के लिए ऐसी पहलें करनी आवश्यक हैं। इसके विवरण www.fostac.fssai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

मीडिया पूछताछ के लिए संपर्क करें:
रुचिका शर्मा,
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
ई: *sharmaruchika.21@gmail.com*